

प्रारूप 21 ग

[नियम 64 देखिय]

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

69-नानकमत्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

गोपाल सिंह राणा, निवासी वार्ड नं०-19, भूड महोलिया ऊधम सिंह नगर जो (मान्यता प्राप्त/सजिस्ट्रकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गये हैं। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उक्त सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बिगवाड़ा मण्डी, रुद्रपुर।

तारीख : 10 मार्च 2022

10-3-22

रिटर्निंग आफिसर

69-नानकमत्ता (अ०ज०जा०)
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र,
जनपद ऊधमसिंहनगर।

रिटर्निंग आफिसर
69-नानकमत्ता

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)


Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of 69-Nanakmatta Assembly constituency in Uttrakhand State.

In pursuance to the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the conduct of Election Rules 1961, I declare that- Gopal Singh Rana, Ward no. 19, Bhood Maholiya, Udham Singh Nagar [sponsored by Indian National Congress (name of the recognised/~~registered~~ political party)] has been elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Bigwara Mandi, Rudrapur

Date : 10th March, 2022

 10.03.22

Signature

Returning Officer.

69-Nanakmatta

Assembly constituency

Udham Singh Nagar.

रिटर्निंग आफिसर
69-नानकमत्ता